राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)

क्रमांक प.5(14)ग्रावि/अनु–8/सीएमएचएल /2017 जयपुर, दिनांक 01-09-2017

जिला कलक्टर
समस्त जिला।

विषयः–ग्रामीण विकास विभाग में संचालित योजनाओं एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना में पूर्ण या प्रगतिरत कार्यो में व्यतिगत व संस्थाओं द्वारा मजदूरी व सामग्री, मशीनरी आदि की सेवायें प्रदान की जाती है। उक्त लाभार्थियों/संस्थाओं को विभागीय लापरवाही या अन्य कारणों से समय पर भुगतान नहीं हो पाता है तो लाभार्थियों/संस्थाओं द्वारा उक्त प्रकरणों की राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की जाती है तथा कई लम्बित प्रकरण मुख्यमंत्री महोदया द्वारा राज विकास के माध्यम से प्राप्त हो रहे है ऐसे प्रकरणों का निस्तारण अन्ततः जिला स्तर/ब्लॉक स्तर से किया जाता है।

वर्तमान में सरकार विभिन्न स्तरों पर समस्याओं का निस्तारण हेतु आम जनता को राहत प्रदान करने की उद्देश्य से ऑन लाईन प्रणाली लागू कर दी गयी है।

यह सुनिश्चित करावे कि जिले में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना में किसी भी प्रकार का भुगतान किया जाना शेष नहीं रहे।

कृपया पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

(रोहित कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
4. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी–I एवं II/मो. एवं मू./महानरेगा।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, बायोफ्यूल प्राधिकरण।
6. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग।
7. नोडल अधिकारी–एमपावर
8. ऐसीपी (उप निदेशक) ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

परि. निदेशक एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

मनिता/डी/दीक्षित/बीपीएल